अर्न्तगत न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, समस्तीपुर।

नियमित जमानत याचिका संख्या–725/2026

हलई थाना कांड संख्या–135/2025

1. कुन्दन कुमार, पुत्र– दिनेश राय, ग्राम– दरवा, थाना–हलई, जिला–समस्तीपुर..... आवेदक

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी

उपस्थितः– आवेदक की ओर से– कंचन कुमारी, विदुषी अधिवक्ता।

बिहार सरकार की ओर से– श्री शिव कुमार प्रसाद, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

आदेश

15.07.2026 यह नियमित जमानत याचिका अभियुक्त **कुन्दन कुमार** की ओर से दाखिल किया गया है जो हलई थाना कांड संख्या–135/2025 अन्तर्गत धारा–309(4) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) से संबंधित है।

नियमित जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया गया कि विद्वान अधिवक्ता का आगे कहना है कि आवेदक ने इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में दाखिल नहीं किया है और आवेदक पूर्णतः निर्दोष व्यक्ति है इन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किय है तथा आवेदक का एक आपराधिक इतिहास है ताजपुर थाना कांड संख्या 596/2023 एवं 594/2023 दर्ज है। आवेदक दिनांक 18.05.2026 से काराधीन है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक को ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा फंसा दिया गया है। आवेदक न्ययालय की संतुष्टी पर बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। आवेदक अभियुक्त जमानत पर मुक्त होने पर उनके फरार होने तथा उनके द्वारा साक्ष्य में छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय के सभी शर्तो को मानने के लिये तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन स्वीकृत

लगातार

15.07.2026 किय जाये।

राज्य की ओर से जमानत का पुरजोर विरोध किया गया और निवेदन किया गया कि आवेदक पर सूचक एवं सूचक के पत्नी को गाली–गलौज और मारपीट करने का गंभीर आरोप है। अतः आवेदक अभियुक्त को नियमित जमानत पर मुक्त कराना न्यायोचित प्रतीत नहीं होत है। अतः आवेदक अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख यह प्रकट करता है कि आवेदक के विरूद्ध धारा– 309(4) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पदर्ज किया गया है। अभियोजन का केस संक्षप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.07.2025 को समय करीब 3 बजे दिन में अपने बहन के घर मेहद्दीन नगर जा रहे थे तो रास्ते में बाबा केवल धाम से कीब अध किलोमीटर उत्तर मोटरसाईकिल को रोककर पेशाव कर रहा था और मेरी पत्नी मोटरसाईकिल के पास खड़ी थी तभी वहां पर एक काले रंग के मोटसाईकिल पर सवार तीन व्यक्ति वहां आये और सूचक सुधीर कुमार एवं सूचक की पत्नी के साथ गाली–गालौज एवं मारपीट एवं धमकी देते हुये दो व्यक्ति सूचक को पकड़ लिया एवं सूचक क मोटरसाईकिल जिसका रजि0 नं0 बीआर 33 बीके 3098 को छिनने लगा एवं मेरे पॉकेट से 7500 रूपया निका लिया तथ सूचक का मोबाईल एवं पत्नी का मोबाईल तीनों व्यक्ति मिलकर छिनकर गाली–गलौज एवं जान से मार देने के धमकी देते हुये माहिउद्दीन नगर के तरफ भाग गये उसके बाद म दोनों पति पत्नी अगल बगल के लोगों के इस घटना के बारे में जानकारी यि तो उक्त लोगें ने सूचक से बेला कि थना पर जाकर यह बात का जानकारी दिजिये। सूचक के पास रियलमी कंपनी का मोबईल जिसमें जियो कंपनी का िसम जिसका नं0 9942974829 लगा हुआ था। तीनों भागने वले व्यक्ति का उम्र 25 से 30 वर्ष का था जिसका रंग ो सांवले रंग के एवं एकगोरा रंग का था। तीनों का लंबाई लगभग साढत्रे पांच फीट का थ जिसमें ो मोटा एक पतला था उक्त तीनों व्यक्तियों को मे समक्ष होने पर देखकर पहचान कर सकता हूं।

अभिलेख एवं केस डायरी के अवलोकन का अवलोकन किया।

अभिलेख यह प्रकट करता है कि प्रस्तुत वाद अज्ञात अपराध कर्मियों के विरूद्ध संस्थित है और आवेदक का नाम इस वाद में सह अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। आवेदक अभियुक्त के कब्जे से कुछ भी बरामद दर्शित नहीं है जिसका संबंध इस घटना से हो। आवेदक की आयु 19 वर्ष दर्शित है। कांड दैनिकी की कंडिका 92 अभियुक्त के विरूद्ध दो अन्य कांड दर्ज होना दर्शित करता है जिसके संदर्भ में बचाव पक्ष की ओर से निवेदन किया

लगातार

15.07.2026 गया है और आवेदन दिया गया है कि वे दोनों कांड विद्वान किशोर न्याय परिशद के समक्ष लंबित है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं कारावधि को ध्यान में रखते हुये आवेदन अभियुक्त कुंदन कुमार को मो0 दस हजार रूपये के बंध–पत्र एवं सामान राशि के दो प्रतिभूओं दाखिल करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480(2) (a, b, c) की शर्तों के अंतर्गत जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कार्यालय इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय में भेजे तथा आदेश बेवसाईट पर अपलोड करें।

लेखापित

(राहुल कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय,
समस्तीपुर।